तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–06/2021**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.12.2021	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम पालौदा भूमि ख0न0 511 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह पर गैरसायल दुलजी पुत्र कन्हैया जाति माली निवासी रसीदपुर द्वारा जिन्स सरसों काश्त कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैरसायल ने अपना जवाब साधे कागज पर पेश कर अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 4.40 रूपये का 50 गुणा 220 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखल वसूली एवं फसल जप्ती नीलामी हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा) रा० ले० स० 4 वर्ष 2078 की पृ० सं० 29 पर 220 रु के मांग कायम की गई। (हस्ताक्षर) तहसील राजस्व लेखाकार	

फर्द बेदखली

आज दिनांक 7.3.22 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदारजी, महवा क्रमांक –RA/2021/140-141 दिनांक 27-12-21 की पालना में ग्राम पालोदा के खसरा नंबर 511 रकबा 2.47 है किस्म चारागाह मौके पर आया। मौके पर उक्त खसरा नंबर में 0.10 है भूमि पर श्री तुलसी पुत्र कन्हैया जाति माली निवासी रसीदपुर ने अतिचार करके फसल सरसों काश्त कर रखी है।

उक्त भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि को कब्जा राज लिया गया।

ILR 7-3-22

08-3-22

हस्ताक्षर पटवारी

फर्द नीलामी

आज दिनांक 7.3.22 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदार जी, महवा क्रमांक –RA/2021/140-141 दिनांक 27-12-21 की पालना में ग्राम पालोदा के खसरा नंबर 511 रकवा ~~2.47 है~~ 0.10 है फसल सरसों जो कि श्री तुलसी पुत्र कन्हैया जाति माली निवासी रसीदपुर द्वारा अतिचार करके काश्त की गई, को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर फसल को कब्जा राज लिया गया तथा मौके पर नीलाम किया गया। जिसकी नीलामी बोली निम्न प्रकार रही :–

क्र0सं0	नाम बोलीदार	राशि	हस्ताक्षर
1.	विश्राम पुत्र नारायण जोगी पालोदा	800	विश्राम
2.	बद्री पुत्र गिरिजी जोगी पालोदा	850	बद्री
3.	रणजीता पुत्र मूलचंद रावत रसीदपुर	900	रणजीता

उक्त बोली से अधिक किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली नहीं लगाई गई। अतः श्री रणजीता पुत्र श्री मूलचंद जाति रावत निवासी रसीदपुर के नाम राशि रू0 900 में अन्तिम बोली छोडी गई।

रा0 ले0 सा0 4 वर्ष 2078 की पृ0 सं0 29 पर 900 रु की मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लखाकार

7.3.22

7-3-22 ILR

स्वीकृत

तहसीलदार महवा, जिला दौसा

(तहसीलदार मण्डावर (दौसा))